समक्ष माननीय राजस्व मंडल म. प्र. ग्वालियर

R-2712-II/12

1. श्रीमति राजा बेटी पुत्री श्याम लाल राय
2. कस्तूरी पुत्री श्याम लाल राय

निवासी ग्राम बनगायहार हाल

निवासी ग्राम पोस्ट डामरोन तह. करैरा जिला शिवपुरी म. प्र.

3. भागचंद तनय श्यामलाल राय

निवासी बनगायहार

.... आवेदकगण

विरूद्ध

1. शीला देवी पत्नी महेश नारायण गुप्ता

निवासी 94/9 सिविल लाईन झांसी उ. प्र.

2. बद्री प्रसाद तनय लाल राम गुप्ता

निवासी खेलार झांसी उत्तर प्रदेश

.... अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू. रा. संहिता/ संशोधन अधिनियम के तहत

उपरोक्त आवेदकगण न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ जिला म. प्र. के प्रकरण क्रमांक 118/ निगरानी / 2009-10 में पारित आदेश दिनांक 29.9.2010 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों सहित प्रस्तुत करते है ।

1. यह कि प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है अनावेदिका क्रमांक 01 द्वारा तहसील न्यायालय में बटवारा आदेश अधिकारिता रहित रूप से मृतक पक्षकार को पक्षकार बनाये बिना विवादत बटवारा कराया था जिसे विरूद्ध आवेदिका क्रमांक 01 एवं 02 ने अपील श्रीमानअनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की थी । जिन्होने यह मान्य करते हुए कि विवादित बटवारा आदेश में वैध वारिस को पक्षकार नही बनाया है एवं वैधानिक रूप से इस्तिहार का प्रकाशन नहीं किया है इस कारण 29.3.1996 का आदेश निरस्त कर सभी पक्षकारों की उपस्थिति में एवं व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए प्रकरण प्रत्यावर्तित किया । जिसके विरूद्ध अनावेदिका क्रमांक 01 ने निगरानी प्रस्तुत की जो (आवेदिका क्रमांक 01 एवं 02 को सुनवाई का अवसर

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2712–दो / 2012 जिला टीकमगढ़

श्रीमती राजा बेटी आदि विरूद्ध शीला देवी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
08–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला टीकगढ़ के प्रकरण क्रमांक 118 / निगरानी / 2009–10 में पारित आदेश दिनांक 29–9–2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 06–05–2019 को आयुक्त सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 08/3/19 सदस्य	